अनुदान संख्या 61 – जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
GRANT No. 61 - DEPARTMENT OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	8641,49,00	8641,53,00	7149,49,79	-1492,03,21
पूरक	Supplementary	4,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				1447,96,41
पूंजीगतः	**Capital:**				
प्रभारित–	*Charged-*		*1,00*	..	*-1,00*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*1,00*
स्वीकृत–	Voted-		409,01,00	158,07,07	-250,93,93
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				247,32,59

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	9500.00			
पू.	S.	1.00	8713.50	8041.83	-671.67
पु.	R.	-787.50			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर–पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	43751.00			
पू.	S.	1.00	41.35	..	-41.35
पु.	R.	-43710.65			
मुख्य शीर्ष "2701"	Major Head "2701"				
मध्यम सिंचाई	Medium Irrigation				
मू.	O.	389618.00			
पू.	S.	1.00	398148.69	395328.78	-2819.91
पु.	R.	8529.69			
मुख्य शीर्ष "2702"	Major Head "2702"				
लघु सिंचाई	Minor Irrigation				
मू.	O.	33537.00			
			29594.71	29259.55	-335.16
पु.	R.	-3942.29			
मुख्य शीर्ष "2711"	Major Head "2711"				
बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी	Flood Control and Drainage				
मू.	O.	3978.00			
			9333.88	9100.19	-233.69
पु.	R.	5355.88			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3435" पारिस्थितिकी और पर्यावरण	Major Head "3435" Ecology and Environment				
मू.	O.	165363.00	131318.00	131293.79	-24.21
पु.	R.	-34045.00			
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in aid to State Governments				
मू.	O.	209527.00	122789.26	122787.86	-1.40
पु.	R.	-86737.74			
मुख्य शीर्ष "3602" विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in aid to Union Territory Governments with Legislature				
मू.	O.	2120.00	13022.00	12766.17	-255.83
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	10901.00			

(I) ₹48831.00 लाख का प्रावधान चौदह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹48172.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(I) Provision of ₹48831.00 lakhs remained wholly unutilized under fourteen heads; of these ₹48172.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2552" –

(क) "बाढ़ नियंत्रण – अन्य व्यय – नदी बेसिन प्रबंधन"– ₹10000.00 लाख;

(ख) "प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण – राष्ट्रीय नदियों के प्रदूषण की रोकथाम – राष्ट्रीय नदी

(A) Major Head "2552" -

(a) "Flood Control - Other Expenditure - River Basin Management" - ₹10000.00 lakhs ;

(b) "Prevention and Control of Pollution - Prevention of Pollution of National Rivers -

संरक्षण योजना" – ₹2300.00 लाख;

(ग) "सामान्य (लघु सिंचाई) – अन्य व्यय" –

(i) "जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास" – ₹1262.00 लाख;

(ii) "प्रधानमंत्री कृषि सिंचाईं योजना (हर खेत को पानी)" – ₹20500.00 लाख; और

(iii) "मानव संसाधन विकास/क्षमता निर्माण" – ₹1210.00 लाख (फरवरी, 2021 में प्राप्त किए 1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान सहित)।

प्रावधान उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाएं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्ष को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(iv) "बाढ़ प्रबंधन एवं सीमा क्षेत्र कार्यक्रम" – ₹2000.00 लाख; और

(घ) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम" – ₹5000.00 लाख।

प्रावधान उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसियों से मांग की प्राप्ति न होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(ङ) "सामान्य – अनुसंधान – राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना" – ₹1000.00 लाख – पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों के उपयोग के लिए आंशिक निधियों का

National River Conservation Plan" - ₹2300.00 lakhs;

(c) "General (Medium Irrigation) - Other Expenditures" -

(i) "Development of Water Resources Information System" - ₹1262.00 lakhs;

(ii) "Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana (Her Khet ko Pani)" - ₹20500.00 lakhs; and

(iii) "Human Resource Development/ Capacity Building" - ₹1210.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in February, 2021).

Provisions under the above five heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(iv) "Flood Management and Border Area Programme" - ₹2000.00 lakhs; and

(d) "Tribal Area Sub-Plan - Flood Management and Border Area Programme" - ₹5000.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilized due to non-receipt of demand from the implementing agencies.

(e) "General - Research - National Hydrology Project" - ₹1000.00 lakhs - due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilization on projects/schemes for

पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने तथा शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण थे।

the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(खा) मुख्य शीर्ष "3601" – "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें – बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजनाएं – केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमों के लिए अनुदान – राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना" – ₹4900.00 लाख कार्यान्वयन एजेंसियों से निधियों मांग न होने और पिछले वर्ष कार्यान्वयन एजेंसियों के पास पिछले वर्ष की अव्ययित शेष की उपलब्धता होने के कारण।

(B) Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes - Externally Aided Projects - Grants for Centrally Sponsored Schemes - National River Conservation Plan" - ₹4900.00 lakhs - due to no demand for funds from implementing agencies and availability of unspent balances of previous year with the implementing agencies.

(II) मुख्य शीर्ष "3451" – "सचिवालय – जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग" के अंतर्गत ₹1480.05 लाख की बचत (₹7851.04 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन संबंधी कम निधियों की आवश्यकता होने और कोविड–19 महामारी की वजह से कम दौरे किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "3451" - "Secretariat - Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation" - saving of ₹1480.05 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7851.04 lakhs) was due to requirement of less funds towards salaries and less tours undertaken owing to COVID-19 pandemic.

(III) मुख्य शीर्ष "2701" – "सामान्य" – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(III) Under Major Head "2701" - "General" - savings occurred under the following heads:-

(का) "निदेशन और प्रशासन – केन्द्रीय जल आयोग" – ₹5375.34 लाख की बचत (₹41056.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, कार्य प्रभारित कर्मचारियों के सेवानिवृति होने, कम दौरे किए जाने और मरम्मत/रखरखाव संबंधी कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(A) "Direction and Administration - Central Water Commission" - saving of ₹5375.34 lakhs (against the sanctioned provision of ₹41056.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, retirement of work charged employees, less tours undertaken and requirement of less funds towards repair/ maintenance.

(खा) "प्रशिक्षण – मानव संसाधन विकास/क्षमता निर्माण" – ₹731.52 लाख की बचत (₹1180.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सम्मेलनों/बैठकों/सेमिनारों का आयोजन कम होने और कम दौरे किए जाने के कारण हुई।

(B) "Training - Human Resource Development/ Capacity Building" - saving of ₹731.52 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1180.00 lakhs) was due to holding of less conferences/meetings/seminars and less tours undertaken.

(गा) "अनुसंधान" –

(C) "Research" -

(क) "केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान स्टेशन" – ₹1153.64 लाख की बचत (₹8696.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे

(a) "Central Water and Power Research Station" - saving of ₹1153.64 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8696.00 lakhs)

जाने, चिकित्सा दावों की कम प्राप्ति होने और कम दौरे किए जाने के कारण हुई।

(ख) "राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना" – ₹4524.73 लाख की बचत (₹17365.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(ग) "अनुसंधान और विकास तथा राष्ट्रीय जल मिशन का कार्यान्वयन" – ₹2227.08 लाख की बचत (₹4868.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत सम्मेलनों/बैठकों/सेमिनारों का आयोजन कम होने और कार्यान्वयन एजेंसियों से कम मांग होने के कारण हुईं।

(घा) "अन्य व्यय" –

(क) "बाँध पुनर्वास तथा सुधार कार्यक्रम (डीआरआईपी)" – ₹841.71 लाख की बचत (₹2487.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सम्मेलनों/बैठकों/ सेमिनारों का आयोजन कम होने और कम दौरे किए जाने के कारण हुई।

(ख) "मानव संसाधन विकास/क्षमता निर्माण" – ₹1280.06 लाख की बचत (₹1810.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रकाशन और विज्ञापन संबंधित कम निधियों की आवश्यकता होने और बैठकों/कार्यशालाओं का आयोजन कम होने के कारण हुई।

(ग) "नदी बेसिन प्रबंधन" – ₹2656.60 लाख की बचत (₹9925.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने और मरम्मत/रखरखाव कार्य संबंधी कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

was due to non-filling up of vacant posts, receipt of less medical claims and less tours undertaken.

(b) "National Hydrology Project" - saving of ₹4524.73 lakhs (against the sanctioned provision of ₹17365.00 lakhs); and

(c) "Research and Development and Implementation of National Water Mission" - saving of ₹2227.08 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4868.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to conduction of less conferences/meetings/seminars and less demand from the implementing agencies.

(D) "Other Expenditure" -

(a) "Dam Rehabilitation and Improvement Programme (DRIP)" - saving of ₹841.71 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2487.00 lakhs) was due to conduction of less conferences/meetings/workshops and less tours undertaken.

(b) "Human Resource Development/Capacity Building" - saving of ₹1280.06 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1810.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards publications and advertising and conduction of less meetings/workshops.

(c) "River Basin Management" - saving of ₹2656.60 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9925.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and requirement of less funds towards repairs/maintenance work.

(घ) "अटल भूजल योजना" – ₹7694.86 लाख की बचत (फरवरी, 2021 में प्राप्त किए गए ₹0.30 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹19998.30 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम दौरे किए जाने, कार्यान्वयन एजेंसियों के पास पिछले वर्ष अव्ययित शेष की उपलब्धता होने और लेखन सामग्री मदों की खरीद कम होने के कारण हुई।

(d) "Atal Bhujal Yojana" - saving of ₹7694.86 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹19998.30 lakhs including token supplementary grant of ₹0.30 lakh obtained in February, 2021) was due to less tours undertaken, availability of unspent balances of previous year with the implementing agencies and less procurement of stationery items.

(IV) मुख्य शीर्ष "2702" – "भूजल – अन्वेषण" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(IV) Under Major Head "2702" - "Ground Water - Investigation" - savings occurred under the following heads :-

(का) "केन्द्रीय भू–जल बोर्ड" – ₹1135.39 लाख की बचत (₹24495.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने और कम दौरे किए जाने के कारण हुई।

(A) "Central Ground Water Board" - saving of ₹1135.39 lakhs (against the sanctioned provision of ₹24495.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and less tours undertaken.

(खा) "भू–जल प्रबंधन और विनियमन" – ₹2565.52 लाख की बचत (₹8124.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम अधिप्राप्ति होने, कार्यशालाओं/बैठकों का कम आयोजन होने, कम दौरे किए जाने और कम वाहनों को किराए पर लिए जाने के कारण हुई।

(B) "Ground Water Management and Regulation" - saving of ₹2565.52 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8124.00 lakhs) was due to less procurement, conduction of less workshops/ meetings, less tours undertaken and hiring of less vehicles.

(V) मुख्य शीर्ष "2711" – "बाढ़ नियंत्रण – अन्य व्यय – बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम" – ₹2377.81 लाख की बचत (₹3978.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मरम्मत/रखरखाव संबंधी कम निधियों की आश्यकता होने, रिक्त पदों को न भरे जाने और कम दौरे किए जाने के कारण हुई।

(V) Under Major Head "2711" - "Flood Control - Other Expenditure - Flood Management and Border Areas Programme" - saving of ₹2377.81 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3978.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards repairs/maintenance, non-filling up of vacant posts and less tours undertaken.

(VI) मुख्य शीर्ष "3435" – "प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण – राष्ट्रीय नदियों के प्रदूषण की रोकथाम" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(VI) Under Major Head "3435" - "Prevention and Control of Pollution - Prevention of Pollution of National Rivers" - savings occurred under the following heads:-

(का) "राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना" – ₹4013.69 लाख की बचत (₹84762.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(A) "National River Conservation Plan" - saving of ₹4013.69 lakhs (against the sanctioned provision of ₹84762.00 lakhs); and

(खा) "राष्ट्रीय गंगा योजना" – ₹30000.00 लाख की बचत (₹80000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(B) "National Ganga Plan" - saving of ₹30000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹80000.00 lakhs).

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसियों निधियों के लिए कम मांग होने और कार्यान्वयन एजेंसियों के पास पिछले वर्ष का अव्ययित शेष की उपलब्धता होने के कारण हुई।

Savings under the above two heads were due to less demand for funds from implementing agencies and availability of unspent balances of previous year with the implementing agencies.

(VII) मुख्य शीर्ष "3601" – "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमों" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(VII) Under Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes" - savings occurred under the following heads: -

(का) "केन्द्रीय सहायता / हिस्सा" –

(क) "राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना" – ₹6800.00 लाख की बचत (₹12839.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(ख) "प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना" – ₹16298.13 लाख की बचत (₹68248.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(ग) "बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम" – ₹54826.01 लाख की बचत (₹61840.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(A) "Central Assistance/Share" -

(a) "National River Conservation Plan" - saving of ₹6800.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12839.00 lakhs);

(b) "Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana" - saving of ₹16298.13 lakhs (against the sanctioned provision of ₹68248.00 lakhs);

(c) "Flood Management and Border Areas Programme" - saving of ₹54826.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹61840.00 lakhs); and

(खा) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – हर खेत को पानी" – ₹3915.00 लाख की बचत (₹20500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

(B) "Tribal Area Sub-Plan - Her Khet Ko Pani" - saving of ₹3915.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20500.00 lakhs).

बचतें उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसियों से कम मांग होने और कार्यान्वयन एजेंसियों के पास पिछले वर्ष का अव्ययित शेष की उपलब्धता होने के कारण हुई।

Savings under the above four heads were due to less demand for funds from implementing agencies and availability of unspent balances of previous year with the implementing agencies.

(VIII) मुख्य शीर्ष "3602" – "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम – केन्द्रीय सहायता / हिस्सा – बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम" – ₹992.77 लाख की बचत (₹2000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों से

(VIII) Under Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share - Flood Management and Border Area Programme" - saving of ₹992.77 lakhs (against the sanctioned

कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

provision of ₹2000.00 lakhs) was due to requirement of less funds by the implementing agencies.

(IX) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹323.76 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 72 प्रतिशत थीं।

(IX) Under one head saving of ₹323.76 lakhs occurred constituting 72 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹42986.39 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि सितम्बर, 2020 और फरवरी, 2021 में निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹3.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

2.(I) The above savings were partly (₹42986.39 lakhs) unutilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹3.00 lakhs in September, 2020 and February, 2021 under the following major heads :-

(का) मुख्य शीर्ष “2701” – “सामान्य” –

(A) Major Head “2701” - “General” -

(क) “निदेशन एवं प्रशासन – मानव संसाधन विकास/क्षमता निर्माण” – ₹593.39 लाख।

(a) “Direction and Administration - Human Resource Development/Capacity Building”- ₹593.39 lakhs.

(ख) “अन्य व्यय – पीएमकेएसवाई के अंतर्गत नाबार्ड से कर्ज को चुकाना” – ₹30500.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹29880.72 लाख था।

(b) “Other Expenditure - Servicing of Loans from NABARD under PMKSY” - ₹30500.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹29880.72 lakhs.

(खा) मुख्य शीर्ष “3602” – “केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम – केन्द्रीय सहायता/हिस्सा” –

(B) Major Head “3602” - “Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share” -

(क) “प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना” – ₹9893.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹9638.44 लाख था।

(a) “Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana” - ₹9893.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹9638.44 lakhs.

(ख) “राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना” – ₹2000.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹1999.50 लाख था।

(b) National River Conservation Plan” - ₹2000.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1999.50 lakhs.

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:–

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2701" – "सामान्य" –

(क) "अनुसंधान – केन्द्रीय मृदा सामग्री अनुसंधानशाला" – ₹565.77 लाख का अधिक व्यय (₹1621.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अनुसंधान और विकास कार्यक्रम संबंधी अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने और संस्था के रिक्त पदों को भरे जाने के कारण हुआ।

(ख) "अन्य व्यय – जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास" – ₹1765.09 लाख का अधिक व्यय (₹9482.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और कार्य प्रभारित स्टॉफ की वार्षिक वेतन वृद्धि/बकाया राशि के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष "2711" – "बाढ़ नियंत्रण – अन्य व्यय – नदी बेसिन प्रबंधन" – ₹7500.00 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग के *प्रभारित* अंश में, *₹1.00 लाख* का *विनियोग* एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा और इसे अंततः अभ्यर्पित कर दिया गया था।

4. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

(A) Major Head "2701" - "General" -

(a) "Research - Central Soil and Materials Research Station" - excess of ₹565.77 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1621.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards Research and Development Programme and filling up of vacant posts of the institute.

(b) "Other Expenditure - Development of Water Resources Information System" - excess of ₹1765.09 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9482.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern region and Sikkim and requirement of additional funds towards annual increment/arrears of work charged staff.

(B) Major Head "2711" - "Flood Control - Other Expenditure - River Basin Management" - excess of ₹7500.00 lakhs (against nil provision) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

3. In the *charged* portion of the capital section of the grant, *appropriation* of *₹ 1.00 lakh* remained wholly unutilized under one head and was eventually surrendered.

4. In the voted portion of the capital section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "4701"	Major Head "4701"				
मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Medium Irrigation				
मू.	O.	10067.00	4953.41	4770.65	-182.76
पु.	R.	-5113.59			
मुख्य शीर्ष "4702"	Major Head "4702"				
लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Minor Irrigation				
मू.	O.	22778.00	8366.00	8267.30	-98.70
पु.	R.	-14412.00			
मुख्य शीर्ष "4711"	Major Head "4711"				
बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Flood Control Projects				
मू.	O.	2582.00	844.00	812.99	-31.01
पु.	R.	-1738.00			
मुख्य शीर्ष "5075"	Major Head "5075"				
अन्य परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Other Transport Services				
मू.	O.	5245.00	2005.00	1956.13	-48.87
पु.	R.	-3240.00			

(I) ₹235.00 लाख का प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "4701" – "सामान्य" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

(का) "अनुसंधान" –

(क) "राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना" – ₹1031.39 लाख की बचत (₹1635.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मोटर वाहनों, मशीनरी और उपकरणों की अधिप्राप्ति में विलंब होने और कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(ख) "राष्ट्रीय जल मिशन का अनुसंधान और विकास तथा कार्यान्वयन" – ₹815.78 लाख की बचत (₹1132.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मशीनरी और उपकरणों की अधिप्राप्ति में विलंब होने और कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(खा) "अन्य व्यय" –

(क) "जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास" – ₹1421.39 लाख की बचत (₹3027.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मशीनरी और उपकरण की अधिप्राप्ति में विलंब होने के कारण हुई।

(ख) "बांध पुनर्वास तथा सुधार कार्यक्रम" – ₹1607.13 लाख की बचत (₹3013.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हिस्सा लेने वाले राज्यों द्वारा कम निधियों की आवश्यकता होने और मशीनरी एवं उपकरणों की अधिप्राप्ति में विलंब होने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "4702" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

(I) Provision of ₹235.00 lakhs remained wholly unutilized under three heads.

(II) Under Major Head "4701" - "General" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Research" -

(a) "National Hydrology Project" - saving of ₹1031.39 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1635.00 lakhs) was due to delay in procurement of motor vehicles, machinery and equipments and slow pace of work.

(b) "Research and Development and Implementation of National Water Mission" - saving of ₹815.78 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1132.00 lakhs) was due to delay in procurement of machinery & equipments and slow pace of work.

(B) "Other Expenditure" -

(a) "Development of Water Resources Information System" - saving of ₹1421.39 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3027.00 lakhs) was due to delay in procurement of machinery & equipment.

(b) "Dam Rehabilitation and Improvement Programme (DRIP)" - saving of ₹1607.13 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3013.00 lakhs) was due to requirement of less funds by participating States and delay in procurement of machinery & equipments.

(III) Under Major Head "4702" - savings occurred under the following heads:-

(का) "अन्य व्यय – भू जल प्रबंधन और विनियमन" – ₹12226.60 लाख की बचत (₹19676.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मशीनरी और उपकरणों की खरीद में विलंब होने और कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(A) "Other Expenditure - Ground Water Management and Regulation" - saving of ₹12226.60 lakhs (against the sanctioned provision of ₹19676.00 lakhs) was due to delay in procurement of machinery & equipments and slow pace of work.

(खा) "भू जल – अवसंरचना विकास" – ₹1999.86 लाख की बचत (₹2200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(B) "Ground Water - Infrastructure Development" - saving of ₹1999.86 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2200.00 lakhs); and

(IV) मुख्य शीर्ष "4711" – "बाढ़ नियंत्रण – अन्य व्यय– अवसंरचना विकास" – ₹1671.44 लाख की बचत (₹2400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

(IV) Under Major Head "4711" - "Flood Control- Other Expenditure - Infrastructure Development" - saving of ₹1671.44 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2400.00 lakhs).

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to slow pace of work.

(V) मुख्य शीर्ष "5075" – "नदी प्रशिक्षण कार्य – फरक्का परियोजना – फरक्का बैराज" – ₹3288.87 लाख की बचत (₹5245.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अधिप्राप्ति प्रक्रिया में विलंब होने और कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(V) Under Major Head "5075" - "River Training Works - Farakka Project - Farakka Barrage" - saving of ₹3288.87 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5245.00 lakhs) was due to delay in procurement process and slow pace of work.